



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं. NCST/DEV-3524/UP/13/2024-ESDW-RU-IV

दिनांक: 09.04.2025

सेवा में,

श्री बद्रीनाथ सिंह
जिलाधिकारी,
जिला-सोनभद्र
डीएम कार्यालय, लोधी,
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश-231216
E.mail' dmson@nic.in

विषय: गरीब असहाय आदिवासी विधवा महिला श्रीमती राजकुमारी कुंवर, ग्राम-कुड़वा, थाना-कोन, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किए जाने के संबंध में- श्री रामचन्द्र केशरी, पूर्व मंत्री (संसदीय कार्य और जल मंत्रालय), रांची (झारखण्ड) के दिनांक 28.08.2024 का पत्र/अभ्यावेदन।

संदर्भ: जिलाधिकारी, सोनभद्र पत्र दिनांक 03.01.2025

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषककी जांच/ जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **17.04.2025 को 03:20 PM बजे** सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड 8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय

(एच.आर.मीना/H.R.Meena)

अनुसंधान अधिकारी/Research Officer

Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्री उमेश गोंड

ग्राम - कुड़वा

थाना - कोन, जिला - सोनभद्र

उत्तर प्रदेश - 8102350240

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

(iii) NIC for uploading